



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17072026-274589
CG-DL-E-17072026-274589

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3772]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 17, 2026/आषाढ 26, 1948

No. 3772]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 17, 2026/ASHADHA 26, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2026

(आयकर)

सं. 89/ 2026-सीबीडीटी

का.आ. 3936(अ).— आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 2(112) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 2026 के नियम 7(5)(ख), (ग) और 7(8) के साथ पठित, केंद्र सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 2(112) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित ब्यौरे वाले बांड को जीरो कूपन बांड के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, यथा-

(क)	बांड का नाम	राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक का दस वर्षीय जीरो कूपन बॉण्ड
(ख)	बांड की समय अवधि	दस वर्ष

(ग)	बांड जारी करने की समय सारिणी	31 मार्च, 2028 को या उससे पहले जारी किया जाएगा
(घ)	बांड की परिपक्वता या मोचन पर भुगतान की जाने वाली राशि	बीस हजार करोड़ रुपये।
(ङ)	छूट	दस हजार दो सौ छियानवे करोड़ बारह लाख रुपये।
(च)	जारी किए जाने वाले बांडों की संख्या	बीस लाख

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक आयकर अधिनियम, 2025 और आयकर नियम, 2026 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है।

[सं. 89 /2026/फा. सं.164/1/2026-आईटीए-1]

हरदेव सिंह, अवर सचिव